न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहनलाल यादव, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार – अपीलाण्ट

बनाम

मोहनसिंह पुत्र श्री मांगीलाल दरोगा निवासी भनकपुरा थाना व तहसील टोड़ाभीम जिला करौली – रेस्पोण्डेण्ट

अपील आर्म्स एक्ट

निर्णय

दिनांक–18.12.2019

यह अपील कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली के आदेश दिनांक 04.02.2015 के विरुद्ध माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय, भरतपुर में आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के तहत प्रस्तुत अपील के निर्णय दिनांक 10.07.2019 से रिमाण्ड होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुई है। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से हैं कि पंचायत आम चुनाव 2015 के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने एवं पंचायत चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण तथा भयमुक्त संपन्न करवाने हेतु आदेश क्रमांक–न्याय / 9356–9395 दिनांक 29.12.2004 के द्वारा जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्र निलंबित कर दिनांक 03.01.2015 तक शस्त्रों को थाने में जमा करवाने हेतु निर्देशित किया था जिसका स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। पुनः दिनांक 14.01.2015 के द्वारा शस्त्र जमा करवाने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया गया था। इसके उपरांत श्री दरोगा का शस्त्र थाने में जमा नहीं होने की रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिनांक 04.02. 2015 द्वारा श्री दरोगा का शस्त्र प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया था जिसके विरुद्ध अपील पेश की गई थी।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर श्री दरोगा की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। पुलिस अधीक्षक करौली से रिपोर्ट तलब की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पैरोकार सरकार का बहस में कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 04.02. 2015 विधिक कार्यवाही कर जारी किया गया है। पंचायत आम चुनाव 2015 पंचायत आम चुनाव 2015 के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने एवं पंचायत चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण तथा भयमुक्त संपन्न करवाने हेतु आदेश क्रमांक–न्याय / 9356–9395 दिनांक 29.12.2004 के द्वारा जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्र निलंबित कर दिनांक 03.01.2015 तक शस्त्रों को थाने में जमा करवाने हेतु निर्देशित किया था जिसका स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। पुनः दिनांक 14.01.2015 के द्वारा शस्त्र जमा करवाने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया गया था। तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए व्यक्तिगत तामील करवाया जाना अथवा व्यक्तिगत रूप से सुना जाना संभव नहीं था। इसके उपरांत श्री दरोगा का शस्त्र थाने में जमा नहीं होने की रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिनांक 04.02.2015 द्वारा श्री दरोगा का शस्त्र प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया था। अंत में शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त ही रखा जाने का कथन किया है।

श्री दरोगा का बहस में कथन है कि समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञप्ति की जानकारी उन्हें नहीं हो पाने के कारण वे समय पर शस्त्र जमा नहीं करवा पाये। वे भूतपूर्व सैनिक हैं जिन्हें अपनी जिम्मेदारी का भान है। जैसे ही उन्हें शस्त्र अनुज्ञापत्र के निरस्त होने की जानकारी हुई, तुरंत ही दिनांक 23.02.2015 को उन्होंने शस्त्र को संबंधित थाने में

जमा करवा दिया है। भविष्य में शस्त्र को समय पर जमा करवा दिया जावेगा जिसमें किसी प्रकार की गलती नहीं होगी। समय पर शस्त्र जमा नहीं करवा पाने के लिये क्षमायाचना भी की गई। अंत में शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल किये जाने का कथन किया है।

पुलिस अधीक्षक, करौली ने रिपोर्ट क्रमांक–ल–1 ( )श.अ. बहाली/डीएसबी /2019/12611 दिनांक 19.11.2019 से अवगत कराया है कि श्री दरोगा के विरुद्ध ना तो कोई अभियोग पंजीबद्ध है और ना ही कोई प्रकरण विचाराधीन है। अंत में शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल करने की अभिशंषा की है।

बहस उभयपक्ष एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। पंचायत आम चुनाव 2015 के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने एवं पंचायत चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण तथा भयमुक्त संपन्न करवाने हेतु आदेश क्रमांक–न्याय/9356–9395 दिनांक 29.12.2004 के द्वारा जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्र निलंबित कर दिनांक 03.01.2015 तक शस्त्रों को थाने में जमा करवाने हेतु निर्देशित किया था जिसका स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। पुनः दिनांक 14.01.2015 के द्वारा शस्त्र जमा करवाने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया गया था। श्री दरोगा को समय पर शस्त्र जमा करवाने की जानकारी नहीं होने एवं पुलिस अधीक्षक करौली की अभिशंषा के आधार पर श्री दरोगा का शस्त्र अनुज्ञापत्र बहाल किया जाना उचित समझते हैं।

अतः इस कार्यालय का आलोच्य आदेश दिनांक 04.02.2015 श्री मोहन सिंह पुत्र श्री मांगीलाल जाति दरोगा निवासी भनकपुरा के नाम की हद तक निरस्त किया जाता है एवं श्री दरोगा का शस्त्र प्राधिकार पत्र बहाल किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2020.01.01 11:13:27 IST
Reason: SelfAttested
Location: